संख्या- 8/2018/ 542/46-1-18-1000(56)/2014

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 12 मार्च, 2018

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना के सापेक्ष कृषि विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि को वर्ष 2017-18 में **हाईक्वाल्टी शुगरकेन फाउन्डेशन शीड एण्ड प्राईमरी शीड प्रोडेक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हेतु रु. 213.80 लाख तथा इनहांसिंग शुगरकेन प्रोडेक्शन इन यू.पी. हेतु रु. 51.56 लाख** कुल अवमुक्त धनराशि रू0 265.36 लाख का व्यय/ उपयोग की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-कैं.760-62/रा0कृ.वि.योजना, दिनांक 09.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-160/12-3-2018-100(43)/2017 दिनांक 06 मार्च, 2018 के द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के अनुक्रम में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा मुख्य सचिव, उ.प्र. की अध्यक्षता वाली एस.एल.एस.सी. द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष गन्ना विकास विभाग के **हाईक्वाल्टी सुगरकेन फाउन्डेशन शीड एण्ड प्राईमरी शीड प्रोडेक्सन एण्ड डिस्ट्रीब्यूसन प्रोग्राम तथा इनहांसिंग सुगरकेन शीड प्रोडेक्सन इन यू.पी.** हेतु, वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष क्रमशः **213.80 लाख** (**रुपये दो करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार मात्र**) एवं **रु. 51.56 लाख** (**रुपये इक्यावन लाख छप्पन हजार मात्र**) अर्थात कुल धनराशि रू0 265.36 लाख (रूपये दो करोड़ पैसठ लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-160/12-3-2018-100(43)/2017 दिनांक 06 मार्च, 2018 के माध्यम से अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि से, **इस पत्र के संलग्नक में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना के अनुसार,** वित्तीय वर्ष 2017-18 में गन्ना विकास विभाग के शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम के भौतिक कार्यो हेतु, निम्नलिखित शर्तो के अधीन, उपयोग/व्यय किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति /अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या-160/12-3-2018-100(43)/2017 दिनांक 06 मार्च, 2018 में दिये गये शर्तो/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएं/ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(2) गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-2331सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1492 सी0डी0/46-3-23-1000(72)/2012 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तो (गाइड लाईन्स) के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दृविरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

(4) प्रस्तर-2 में वर्ष 2017-18 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाय। तद्नुसार उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कृषि एवं अन्य विभागों के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमो एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

नरेश बहादुर
विशेष सचिव।

संख्या- 8/2018/542(1)**/46-1-18-1000(56)/2014, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ.प्र. शासन।
2- अपर गन्ना आयुक्त (विकास)/वित्त नियन्त्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ.प्र.।
3- निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।
4- प्रभारी निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर।
5- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
6- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ.प्र.।
7- विशेष सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
8- समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी**(संलग्नक में उल्लिखित जनपद एवं जनपद फैजाबाद के अनुसार)**
9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र. **(संलग्नक में उल्लिखित जनपद एवं जनपद फैजाबाद के अनुसार)**
10- नोडल अधिकारी(आर.के.वी.वाई.), उ.प्र. कृषि भवन लखनऊ।
11- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
12- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर दिवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 8/2018/542/46-1-18-1000(56)/2014 लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2018 का संलग्नक।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की जनपदवार/कार्यक्रमवार तृतीय किस्त की फांट

(धनराशि रु० में)

क्र०सं०	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	यंत्र वितरण कार्यक्रम	माईक्रोन्यूटिऐन्ट वितरण कार्यक्रम	क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम	कुल योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	गाजियाबाद	0	0	0	170500	0	170500
योग मेरठ मण्डल		**0**	**0**	**0**	**170500**	**0**	**170500**
2	मुरादाबाद	0	4887500	415111	100000	0	5402611
3	अमरोहा	0	4125000	0	0	457500	4582500
4	बिजनौर	0	9432500	0	0	0	9432500
योग मुरादाबाद मण्डल		**0**	**18445000**	**415111**	**100000**	**457500**	**19417611**
5	बदायू	75000	25000	78800	45800	30000	254600
6	पीलीभीत	0	0	1272425	1000000	30000	2302425
7	शाहजहॉपुर	0	1360500	0	0	0	1360500
8	अलीगढ	37500	250000	213650	475000	75000	1051150
योग बरेली मण्डल		**112500**	**1635500**	**1564875**	**1520800**	**135000**	**4968675**
9	बाराबंकी	0	187000	0	0	0	187000
10	अम्बेडकरनगर	0	0	0	0	60000	60000
योग फैजाबाद मण्डल		**0**	**187000**	**0**	**0**	**60000**	**247000**
11	गोण्डा	0	0	50000	0	0	50000
12	बलरामपुर	0	1000000	0	0	547500	1547500
13	बहराईच	0	0	5714	0	0	5714
योग देवीपाटन मण्डल		**0**	**1000000**	**55714**	**0**	**547500**	**1603214**
14	आजमगढ	0	0	0	0	129000	129000
योग देवरिया मण्डल		**0**	**0**	**0**	**0**	**129000**	**129000**
योग प्रदेश		**112500**	**21267500**	**2035700**	**1791300**	**1329000**	**26536000**

(धनराशि रु०दो करोड पैसठ लाख छत्तीस हजार मात्र)

नोट:-जनपद अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि जिला गन्ना अधिकारी फैजाबाद द्वारा आहरण कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जायेगा।

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।